निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 19/अपील/18

रामचन्दर आ0 कांशीराम तंवर नि0 खानपुरिया तहसील मनोहरथाना (अपीलान्ट)
बनाम
राज.सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ (रेस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजी आदेश कमांकः अभियोजन/2018/972
दिनांक 15.03.2018 जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

उपस्थितः– श्री श्याम सुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार रसद

–: निर्णय :–

दिनांकः 01.05.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड़ के आदेश कमांकः अभियोजन/2018/972 दिनांक 15.03.2018 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है । अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पूर्व में जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान सेमली हाट–2 का प्राधिकार पत्र दिनांक 26.09.2017 को निरस्त किया गया जिसकी अपील न्यायालय हाजा में की जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 07/अपील/18 निर्णय दिनांक 07.02.2018 से प्रकरण जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ को रिमाण्ड किया गया जिस पर जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपने अपील मेंमों में अभिभाषक अपीलान्ट ने अंकन किया है कि जिला रसद अधिकारी का आदेश विधी विरूद्ध एंव पत्र संग्रहसार के सर्वथा विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया कि उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना द्वारा दिनांक 30.08.2017 को पंत्राक 1717 को प्राधिकार पत्र निलंबन आदेश लेने बाबत लिखा। सम्पूर्ण प्रकरण राजनैतिक द्वेश,झूठी शिकायत पर आधारित है। मात्र विधायक की अनुशंसा पर गलत प्रकरण बनाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी ने इस तथ्य को भी नजर अन्दाज कर दिया कि समस्त वास्तविकता रेकार्ड पर आ चुकी है, जिसके आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार काबिल बहाली है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर अन्य को अटेचमेन्ट से उपभोक्ताओं को दूर जाना पडता है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र लगभग 6 माह से निरस्त है। जिला रसद अधिकारी का आदेश मनमाना व काल्पनिक होने से निरस्तनीय है। अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सबंधित अभिलेख तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टि करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एंव साक्ष्य से सर्वथा विपरित एंव विधि के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया कि उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना द्वारा दिनांक 30.08.2017 को पंत्राक 1717 को प्राधिकार पत्र निलंबन आदेश लेने बाबत लिखा। सम्पूर्ण प्रकरण राजनैतिक द्वेश,झूठी शिकायत पर आधारित है। मात्र विधायंक की अनुशंसा पर गलत प्रकरण बनाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी ने इस तथ्य को भी नजर अन्दाज कर दिया कि समस्त वास्तविकता रेकार्ड पर आ चुकी है, जिसके आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार काबिल बहाली है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर अन्य को अटेचमेन्ट से उपभोक्ताओं को दूर जाना पडता है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र लगभग 6 माह से

जिला कलक्टर
झालावाड़

निरस्त है। जिला रसद अधिकारी का आदेश मनमाना व काल्पनिक होने से खारिज किया जाकर प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे। इस पर पेरोकार रसद द्वारा व्यक्त किया गया कि तत्समय उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत की जांच करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था तत्पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण वर्तमान परिपेक्ष्य में पुनः जाचं व निर्णय हेतु जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को प्रतिप्रेषित किया जाने पर प्रकरण में बाद सुनवाई डीलर अपनी निर्दोषता साबित करने में विफल रहने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा कार्यालय के पूर्व आदेश 2773 दिनांक 26.09.2017 को यथावत रखा गया है जो उचित है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अघोपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में सेमलीहाट ।। के उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनियमितता किये जाने पर बाद जांच जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ द्वारा उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था व इसी कम में न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर बाद सुनवाई उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अनियमितता किया जाना तो जाहिर किया गया था व प्रकरण पुनः जांच व निर्णय हेतु जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को प्रतिपेषित किया गया था। इस पर जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा प्रकरण में पुनः बर्खास्त एफपीएस डीलर रामचन्द्र को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना साबित है व प्रकरण में उचित मूल्य दुकानदार की बार–बार शिकायतें प्राप्त होने पर व उन्हे समझाईश करने पर भी डीलर द्वारा वितरण में गंभीर अनियमितता कर राज्य सरकार के कोष को हानि पहुचाना व पात्र उपभोक्ताओं को राशन से वंचित रखा जाना साबित होने व डीलर द्वारा अपनी निर्दोषता साबित करने में विफल रहने के परिणाम स्वरूप जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा अपने पूर्व आदेश 2773 दिनांक 26.09.2017 को यथावत रखा गया है। जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा बाद जांच व सुनवाई विस्तृत निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़